(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 28/2020-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून, 2020

सा.का.नि. (अ). सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, ऐसी वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, जैसा कि उक्त सारणी के के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है के किसी वित्तीय वर्ष के कुल आयात की उतनी मात्रा के लिए जिसका की नीचे कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट है (एतश्मिन पश्चात जिसे टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) मात्रा कहा गया है), जब इनका भारत में आयात किया गया हो, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से उस हद तक छूट प्रदान करती है, जिस हद तक यह उक्त सारणी के कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर (एतश्मिन पश्चात जिसे इन कोटा टैरिफ दर से संदर्भित किया गया है) से की गई गणना से अधिक बैठती है बशर्ते कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध की उक्त सारणी के कॉलम (6) के तत्संबंधी प्रविष्टि में दी गई शर्ते पूरी होती हो:-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	टैरिफ रेट कोटा की मात्रा	इन-कोटा टैरिफ दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0402 10 या 0402 21 00	दूध और क्रीम, जो कि पाउडर, दाने (ग्रेन्यूल्य) या अन्य किसी ठोस रुप में हो, (क) जिसमें वसा की मात्रा भार के हिसाब से 1.5% से अधिक न हो; (ख) जिसमें वसा की मात्रा भार के हिसाब से 1.5% से अधिक हो - जिनमें चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ न हों।	10000 मैट्रिक टन	15 प्रतिशत	(i)
2.	1005 90	मक्का (अनाज) बीज की गुणवत्ता वालों से भिन्न	500000 मैट्रिक टन	15 प्रतिशत	(i) और (ii)
3.	1512 11	कच्चे सूरजमुखी के बीज या कुसुम तेल और उसके फ्रैक्शन	150000 मैट्रिक टन	50 प्रतिशत	(i)
4.	1514 19 या 1514 99	रिफाइन्ड तोरिया, कोल्झा या सरसो का तेल और उसके फ्रैक्शन	150000 मैट्रिक टन	45 प्रतिशत	(i)

अनुबंध

शर्त संख्या	शर्त

(i)	(क) आयातकर्ता को टीआरक्यू विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा, हेडबुक ऑफ प्रोसिज़र, 2015-20 के पैराग्राफ 2.62 के अनुसार, आबंटित किया जाता है । (ख) टीआरक्यू के प्राधिकार पत्र में आयातकर्ता का नाम और पता, आईईसी कोड, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, उप शीर्षक या टैरिफ मद, जो भी लागू हो, मात्रा और प्रमाण पत्र की वैधता अवधि का उल्लेख होगा । (ग) टीआरक्यू प्राधिकार पत्र को विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जारी किया जाएगा और इसे आईसीईएस सिस्टम से भेजा जाएगा । (घ) ऐसे टीआरक्यू के एवज में आयात तभी अनुमत्त होगी जब आईसीईएस सिस्टम में टीआरक्यू की मात्रा इलैर्क्टॉनिक रूप से डेबिट किया जा सकेगा ।
(ii)	जहां कि तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के माननीय हाईकोर्ट ऑफ जूडीकेजर, हैदराबाद में WPMP संख्या 43494/2014 और W.P. संख्या 34771/2014 में अपने दिनांक 31.12.2014 के आदेश में केवल वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर और उस समय लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर, न कि टीआरक्यू सीमा शुल्क पर, मक्के का आयात किए जाने की अनुमति दी है । हालांकि ऐसा इस रिट याचिका में आने वाले आगामी आदेशों के अधीन रहेगा। तदनुसार मक्के पर टीआरक्यू उक्त रिट याचिका में आने वाले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन होगा ।

(फाइल संख्या 354/24/2020-टीआरयू)

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार